6

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण क्रमांक 58-दो/09 - विरूद्ध आदेश दिनांक 5-12-2008 - पारित द्वारा - तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर - प्रकरण क्रमांक 548-तीन/2004 निगरानी

जगमोहन पुत्र सुधाकर दत्तराम
ग्राम बड़ौरा तहसील देवसर जिला सीधी ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामचरित्र पुत्र सरजूराम
2- शारदाप्रसाद पुत्र बद्रीविशाल
3- मुक्तिनाथ पुत्र रामलल्लू राम
सभी ग्राम बडोरा तहसील देवसर जिला सीधी ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री आई.पी.द्विवेदी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 01-11-2017 को पारित)

तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 548-तीन/2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-12-2008 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राजस्व निरीक्षक ने पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर ग्राम की नामान्तरण पॅजी के सरल क्रमांक 4 पर आदेश दिनांक 4-11-90 से केता का नामांत्रण किया। इस आदेश के

विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी देवसर ने प्रकरण कमांक 86/91-92 अपील में पारित आदेश दिनांक 14-12-92 से अपील स्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 529/92-93 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-2-02 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत की गई। तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 548-तीन/2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-12-2008 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह विविध आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित आधारों के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक की ओर से पुनरावलोकन में यह आधार दर्शाया है कि पक्षकारों के बीच राजीनामा सहमति हुआ है जिस पर विचार किये बिना आदेश दिनांक 5-12-2008 पारित हुआ है। पक्षकारों के बीच हुआ राजीनामा आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक प्रस्तुत करने में असमर्थ्य रहा है । न्याय हित में अब स्वीकार किया जाय।

उक्त पर विचार किया गया। आवेदक के अभिभाषक ने स्वयं स्वीकार किया है कि आदेश दिनांक 5-12-2008 पारित करने के पूर्व तक उनके द्वारा पक्षकारों के बीच हुये राजीनामे को प्रस्तुत नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन के लिये निम्न आधार हैं:-

1. किसी नई और महत्वूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या
2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या
3. अन्य कोई पर्याप्त कारण ।

विचाराधीन प्रकरण में उक्त 2 एंव 3 के आधार नहीं हैं। जहॉ तक पक्षकारों के बीच हुये राजीनामा संबंधी उठाये गये बिन्दु का प्रश्न है ? आवेदक के अभिभाषक ने स्वयं् स्वीकार किया है कि आदेश दिनांक 5-12-2008 पारित करने के पूर्व तक उनके व्दारा पक्षकारों के बीच हुये राजीनामे को प्रस्तुत नहीं किया गया है। यदि पक्षकार विवादित भूमि के सम्बन्ध में राजीनामा करते है वह विचारण न्यायालय में राजीनामे के आधार पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र हैं , किन्तु विचाराधीन पुनरावलोकन प्रकरण में ऐसा ठोस आधार नहीं पाया गया है जिसके कारण तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 548-तीन/2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-12-2008 हस्तक्षेप किया जा सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन सारहीन होने से निरस्त किया जाता है । फलतः तत्का.सदस्य राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 548-तीन/2004 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-12-2008 यथावत् रहता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर